

# राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा



## प्रबन्ध मण्डल बैठक

### कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	34वीं (चौतीसवीं)
स्थान	बोर्ड रूम कुलपति सचिवालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
दिनांक	14.10.2019 (सोमवार)
समय	प्रातः 11.30 बजे

दिनांक 14.10.2019 को कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में आहूत की गई 34वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण । बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे ।

1. प्रो. आर. ए. गुप्ता	कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल
2. श्री भरत सिंह मा. विधायक	सदस्य
3. श्री संत कुमार चौधरी	सदस्य
4. डा. रवि गुप्ता	सदस्य
5. डा. रमेश पचार	सदस्य
6. श्री टी.पी.मीना	सदस्य, प्रतिनिधि
7. प्रो.संजीव मिश्रा	सदस्य
8. प्रो.बी.पी.सुनेजा	सदस्य
9. प्रो. राजीव गुप्ता	सदस्य
10. प्रो. ए.के.द्विवेदी	सदस्य
11. डा. रवि जुनीवाल	सदस्य
12. प्रो. अनिल के. माथुर	सदस्य
13. डा. ए.ए. हनफी	सदस्य
14. श्री सी.डी.प्रसाद	सदस्य
15. डा. मनीष चतुर्वेदी	सदस्य
16. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	विशेष आमंत्रित सदस्य
17. डा. विवेक पाण्डे	विशेष आमंत्रित सदस्य
18. श्रीमति सुनीता डागा	कुलसचिव एवं सचिव, प्रबन्ध मण्डल

निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके—

1. श्रीमति शुचि शर्मा
2. श्री पुरुषोत्तम सांखला
3. श्री पाना चन्द मेघवाल, मा. विधायक (अटरू बारां)

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया ।

प्र.म. 34.1

प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।

प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल के अध्यक्ष प्रो. आर.ए.गुप्ता, कुलपति, श्री भरत सिंह जी माननीय विधायक सांगोद, श्री पाना चन्दजी मेघवाल, माननीय विधायक अटरू जिला बांरा, श्रीमति शुचि शर्मा, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, श्री निरंजन कुमार आर्य, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, श्रीमति सुनीता डागा, कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, श्री पुरुषोत्तम सांखला निदेशक, प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर, प्रो. ए.के.द्विवेदी, प्रोफेसर सिविल इंजी. विभाग, डा. रवि गुप्ता, प्राचार्य, इंजीनियरिंग कालेज भरतपुर, डा. रमेश कुमार पचार, स्वामी केशवानन्द इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, जयपुर, राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रो. ए.हनफी, सेवा निवृत्त प्रोफेसर, प्रो. अनिल के. माथुर, डीन फेकल्टी अफेयर्स, प्रो. संजीव मिश्रा, डीन एम.बी.ए., एवं शैक्षणिक संकाय द्वारा मनोनीत सदस्य श्री सी.डी.प्रसाद एवं डा. मनीष चतुर्वेदी, का हार्दिक स्वागत करते हैं ।

निवर्तमान सदस्य प्रो. एन.पी.कौशिक, पूर्व कुलपति, श्री प्रताप सिंहजी माननीय विधायक, श्री रामचन्द्र सुनारीवाल पूर्व विधायक श्री वैभव गालरिया, पूर्व सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग राज. सरकार, श्री मुकेश शर्मा, डा. सुबोध अग्रवाल, श्री डी.एस.यादव, डा. आभा जैन, प्रो. एस.के.राठौर, प्रो. एन.के.जोशी, डा. प्रदीप गोयल, श्री ओ.पी.शर्मा, प्रो. एम. के. श्रीमाली, प्रो. अखिल रंजन गर्ग, एवं डा. एस.के. पुरोहित द्वारा उनके अमूल्य सुझावों एवं सहयोग के लिए प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्य धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

संकल्प 34.1

प्रबन्ध मण्डल द्वारा गत बैठक के उपरांत उपस्थित नए सदस्यों का स्वागत किया गया तथा निवर्तमान सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य सहयोग की सराहना एवं आभार प्रकट किया गया ।

प्र.म. 34.2

दिनांक 29.08.2018 को हुई प्रबंध मण्डल की 33वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना ।

50

संकल्प 34.2

दिनांक 29.8.2018 को हुई प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

प्र.म. 34.3

दिनांक 29.08.2018 को हुई प्रबंध मण्डल की 33वीं बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 29.8.2018 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक में कार्यपालना सम्बन्धी कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 33.3 में लिए गए संकल्प के अनुसार अशैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सन्दर्भ में निर्देशानुसार पुनः 34वीं बैठक के बिन्दु संख्या 34.9 में पुनः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

डा. राजेश लीडिया, एसोसिएट प्रोफेसर (अंग्रेजी) के विरुद्ध महिला उत्पीडन प्रकरण के अन्तर्गत जांच प्रतिवेदन की सूचना।

डा. इरम अल्वी, एसोसिएट प्रोफेसर (अंग्रेजी) द्वारा डा. राजेश लीडिया के विरुद्ध महिला उत्पीडन प्रकरण विश्वविद्यालय के सम्मुख वर्ष 2011 में दायर किया गया था जिस पर विश्वविद्यालय में गठित महिला उत्पीडन समिति ने जांचकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में समिति ने यह पाया कि यद्यपि डा. राजेश लीडिया ने डा.इरम अल्वी को अपशब्द कहे थे, परन्तु इस आधार पर महिला उत्पीडन का कोई प्रकरण नहीं बनता। इसके पश्चात् डा. इरम अल्वी ने महिला थाने में डा. लीडिया के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करवाई एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया जिस पर निर्णय अभी लम्बित है। इसी बीच विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु डा.अनिल माथुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु लम्बित है, उक्त प्रकरण के लम्बित रहते जांच किया जाना उचित नहीं होगा

संकल्प 34.3 माननीय सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की कार्यपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। डा. राजेश लीडिया व डा. इरम अल्वी के प्रकरण में प्रस्ताव पारित किया गया कि इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विधिक राय लेकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

प्र.म. 34.4 दिनांक 02.07.2019 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

संकल्प.34.4 दिनांक 02.07.2019 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया गया। माननीय सदस्यों का

2010), बी.एच.एम.सी.टी. 2006 से 2009, एम.सी. ए. 2006 से 2011, एम. बी.ए. 2006 से 2013, बी. आर्क 2006 से 2007 के बेच के समस्त पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को एक अन्तिम अवसर मर्सी चान्स के रूप में प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में यथासंभव सभी विद्यार्थियों को समस्त उपयुक्त माध्यमों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से सूचित करने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जावे तत्पश्चात् भविष्य के लिए इनको किसी प्रकार का मर्सी चान्स न देने का संकल्प पारित किया गया अर्थात् उपरोक्त बेच के विद्यार्थियों के लिए यह अन्तिम अवसर होगा तथा उसके पश्चात् इन्हें मर्सी चान्स देय नहीं होगा ।

इसी प्रकार बी.टेक. 2010 से 2011 (लीप 2011 से 2012) बी.एच.एम.सी.टी. 2010 से 2011, एम.सी.ए. 2012 से 2013, एम.बी.ए. 2014 से 2015, बी. आर्क 2008 से 2009, बी.बी.ए. 2013, एम.टेक. 2006 से 2015 व एम.आर्क 2013 से 2015 बेच के छात्रों को अतिरिक्त मर्सी चान्स का अनुमोदन किया गया । एम.टेक. व एम.आर्क. के विद्यार्थियों की मर्सी परीक्षा का आयोजन नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा के साथ किया जावे व भोश पाठ्यक्रमों की मर्सी परीक्षाओं का आयोजन पृथक से उपरोक्त समस्त वांछित उपायों के पश्चात् किया जावे ।

विश्वविद्यालय द्वारा CBCS के तहत प्रकाशित बी.टेक. के नवीन पाठ्यक्रम में पूर्व की भांति संदर्भित पुस्तकों को भी वर्णित किया जावे ।

प्र.म. 34.5 दिनांक 28.3.2019 को सम्पन्न हुई 18वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

संकल्प 34.5 दिनांक 28.3.2019 को सम्पन्न हुई 18वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया । सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि छात्रों की फीस बढ़ाने से सम्बन्धित प्रकरण सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रथमतः प्रबन्ध मण्डल से प्राप्त की जावे तत्पश्चात् ही प्रकरण वित्त समिति में रखा जावे इसी प्रकार विश्वविद्यालय की वित्त समिति में आय-व्यय के लेखों में जो सवाधि जमा योजना में विनियोजित है उनका विवरण पृथक से संलग्न किया जावे ।

50

प्र.म.34.6 दिनांक 1.10.2019 को सम्पन्न हुई 19वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

संकल्प .34.6 दिनांक 1.10.2019 को सम्पन्न हुई 19वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया विश्वविद्यालय की सुरक्षा

प्र.म.34.7

श्रीमति सीमा अटवाल, महिला परिचारिका द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

श्रीमति सीमा अटवाल को उनके द्वारा न्यायालय कार्यपालक दण्डनायक कोटा द्वारा जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र क्रमांक-189 दिनांक 4.9.1992 के आधार पर दिनांक 17.11.1993 को महिला परिचारिका के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी । श्रीमति सीमा शर्मा ने श्री ऋषि अटवाल से अर्न्तजातीय विवाह कर उक्त अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आरक्षित कोटे के विरुद्ध महिला परिचारिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई थी ।

तहसीलदार लाडपुरा कोटा के पत्रांक 281 दिनांक 30.3.2016, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा जारी पत्रांक-न्याय/2016/2101 दिनांक 25.4.2016 एवं पत्रांक 955 दिनांक 23.2.2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि श्रीमति सीमा अटवाल के माता पिता दोनों ही ब्राहमण थे, श्रीमति सीमा अटवाल द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पति की जाति के आधार पर बनाया गया है जो नियमान्तर्गत नहीं है, जाति का आधार पिता की जो जाति होती है वही होती है एवं तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र को जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 23.2.2017 को निरस्त कर दिया गया है इस आधार पर श्रीमति सीमा अटवाल के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत प्रो.बी.पी.सुनेजा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया कि चूंकि सीमा अटवाल को आरक्षित वर्ग के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा इस पर समुचित निर्णय लिया जाना उचित होगा । विश्वविद्यालय के अभिभाषक श्री हैमन्तकृष्ण विजयवर्गीय ने भी अपनी राय दिनांक 28.2.2019 को जारी करते हुए आरक्षित वर्ग के जारी प्रमाण निरस्त करने पर उसके आधार पर प्रभाव तय किए जाने की राय अंकित की है प्रकरण पर राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिनांक 28 अगस्त 2019 को निर्देश दिए गए कि प्रकरण निस्तारण हेतु विस्तृत विवरण सहित विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रख कर निर्णय कराने का श्रम करें ।

संकल्प 34.7

इस सम्बन्ध में श्रीमति सीमा अटवाल की सेवाओं को बर्खास्त (Terminate) करते हुए सम्बन्धित पुलिस थाना में धोखाधड़ी (Forgery) का प्रकरण दर्ज करवाया जावे चूंकि जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अतः नियमानुसार सेवा नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जावे ।

प्र.म. 34.8

अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी स्टेटयूट्स का अनुमोदन ।

अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी स्टूटयूटस का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 31वीं बैठक एवं 33वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था । जिसमें माननीय सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करने का संकल्प लिया गया था । इस सन्दर्भ में कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा सुझाव दिया गया था कि अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती का प्रावधान किया विश्वविद्यालय स्तर पर किया जावे । इसमें यह भी अतिरिक्त प्रावधान किया जाना उचित होगा कि कार्मिकों की सीधी भर्ती विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जा सकती हैं अर्थात् विश्वविद्यालय चाहे तो अपने नियमों के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भी भर्ती करवा सकेगा । यह प्रावधान सेक्शन 10 (i) के पश्चात् subsection (ii) के रूप में जोड़ना उचित होगा । अशैक्षणिक कर्मचारी भर्ती सम्बन्धी स्टेटयूटस में उपरोक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही कर माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा ।

संकल्प 34.8

इस सम्बन्ध में राज. कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भी भर्ती करने के प्रस्ताव पर कहा गया कि विश्वविद्यालय यदि भर्ती स्वयं करवा सकता है तो सरकार के स्तर से कराने से अनावश्यक विलम्ब की संभावना रहेगी । इस पर कुलसचिव ने बताया कि माननीय कुलाधिपति महोदय के सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भर्ती कराने हेतु स्वतन्त्र है परन्तु यह विकल्प के रूप में रखा जाना उचित होगा । शिडयलू में दर्शाए गए प्रशासनिक पदों एवं विभिन्न संवर्गों यथा जो पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक संकाय में सम्मिलित है, उनका राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार परीक्षण कर कुलसचिव को संशोधन करने हेतु अधिकृत किया गया । उक्त संशोधन उपरांत सदस्यों द्वारा प्रस्तावित स्टेटयूटस का अनुमोदन किया गया । विभागीय पदोन्नति समिति की वर्तमान संरचना राजस्थान सेवा नियमों के अनुरूप करने का प्रस्ताव पारित किया गया

प्र.म.34. R-1

माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ कतिपय बिन्दु (रिपोर्टिंग आइटम) के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

परीक्षा में फीस में वृद्धि सम्बन्धी रिपोर्टिंग आइटम ।

वित्त समिति की 18वीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना में परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्रों से विभिन्न प्रकार की फीस में वृद्धि के बारे में आदेश प्रसारित किए गए हैं जिनमें मुख्यतया परीक्षा फीस, मर्सी परीक्षा फीस, नामांकन फीस, डाक्यूमेंट जारी करने की फीस इत्यादि है । इसी प्रकार आदेश क्रमांक 6724-32 दिनांक 1.8.2019 के अन्तर्गत डिग्री वित्तरण मानदेय से सम्बन्धित है ।

संकल्प 34. R-1 परीक्षा नियंत्रक द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में जारी आदेशों का अवलोकन किया गया एवं अनुमोदन किया गया । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में वित्त समिति द्वारा छात्रों की फीस वृद्धि सम्बन्धी प्रस्तावों हेतु आदेश प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन उपरांत ही जारी किए जावें

प्र.म. 34. R-2 एम.टेक चतुर्थ सेमेस्टर एवं पार्ट टाइम एम.टेक छठे सेमेस्टर के छात्रों द्वारा डिजिटेशन प्रस्तुत करने की तिथि 15 जनवरी 2020 तक बढ़ाने बाबत ।

2006 से 2015 तक प्रवेशित एम.टेक के छात्रों को अकादमिक परिषद द्वारा एक मर्सी चान्स दिए जाने के कारण इन छात्रों द्वारा प्रस्तुत एम.टेक डिजिटेशन की अवधि दिनांक 15 जनवरी 2020 तक बढ़ाया जाना आवश्यक है

संकल्प 34 R-2 एम.टेक 2006 से 2015 बैच के प्रवेशित छात्रों के चतुर्थ सेमेस्टर एवं पार्ट टाइम एम.टेक छठे सेमेस्टर के छात्रों द्वारा डिजिटेशन प्रस्तुत करने की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया। आगामी बच्चों के लिए डिजिटेशन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत/जमा करने की अन्तिम तिथि सम्बन्धित वर्ष की 31 अगस्त व उक्त दिवस को अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस रहेगी ।

प्र.म. 34. R-3 सीताराम जिन्दल ट्रस्ट नई दिल्ली बी.टेक की दो शाखाओं कम्प्यूटर साइंस, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूनिकेशन तथा एम.टेक की Renewable Energy शाखा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाने सम्बन्धी पत्र प्रेषित किया है इसके लिए आवश्यक धनराशि जमा कराने को भी इच्छुक है । अतः इस सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ।

संकल्प 34.R-3 निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी बाहरी एजेंसी के ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावे ।

BoM 34(T).1 To Consider the recommendation of Examination Committee held on 04.10.2019 resolution no. 2 regarding permission for readmission of a murder charge acquitted student Mr. Ramkunwar Yadav, Roll No. 07EJEEE043.

**---: Explanatory Note ---:**

Letter no. JEC/Exam/2019-20/23252, dated 23.08.2019 of Jaipur Engg. College, Jaipur is received for issuance of permission of readmission in B.Tech. VII Sem. in academic session 2019-20. Previously, student took




admission in academic session 2007-2008 and continued his studies till B.Tech. VI Sem. Exam-2010. He could not continue his studies as he was life imprisoned in murder charge for ten years. Recently, Hon'ble High Court through its order dated 15.07.2019 have granted the relief and acquitted him from charge of murder. Now, student has requested to continue the remaining B.Tech. Course i.e. forth year and also to appear in backlog exams of earlier appeared semesters. Being 2007 admitted batch student, presently he is not eligible to appear in examination as his time span is expired.

As per decision of BOM at its 29<sup>th</sup> meeting vide agenda item no. BOM T 29.3 it was decided that such type of matter should be dealt by Examination Committee. Therefore, matter was placed before Examination Committee for perusal and decision.

Exam. Committee deliberated the issue and considered the releveant supporting documents provided and also the RTU Act 2006 section 27, Examination Committee observed that no such power is provided in Act to deal the matter of extension of span period for continuation of regular study. However, Board has deligated its powers to Exam. Committee to deal such matters vide its resolution no. BOM T 29.3 at its 29<sup>th</sup> meeting.

In view of above and facts and circumstances of the case, Committee recommends to grant one year for his remaining regular study from the session 2019-20 and two more years for clearing the backlogs, if any. Further, college may be directed to arrange classes as per applicable scheme for 2007 admitted batch to complete the course before commencement of Odd Semester Main Exam of session 2019-20.

Moreover, Committee recommends that approval of above recommendation may be taken from Board and further, Board may be requested to reconsider its earlier decision BOM T 29.3 and authorise Dean, Academic Affairs to deal such cases in view of functions and powers of Examination Committee. If there is any requirement of views of exam department , any officer of exam may be included in the committee constituted by Dean, Academic Affairs to deal such cases.

 Hence, Matter is placed before Board to approve the recommendation of Examination Committee.

**Resolution No.34.(T)1**      **Since the delinquent student has been acquitted by the Hon'ble High Court from the charges framed against him, he may be permitted to continue remaining regular study**

from the session 2019-20 and two more years for clearing the backlog, if any. Further college may be directed to arrange classes as per applicable scheme for 2007 admitted batch to complete the course before commencement of Odd semester main examination of session 2019-20.

**BoM 34(T).2**

To submit TEQIP-III statutory audit report for the FY 2018-19 and seek direction vis-à-vis disallowance of expenditure accrued due to GST charge on salary of TEQIP staff


The TEQIP-III staff has been hired through RTU approved man power agency "Purva Sainik Bahuddeshiya Sahakari Samiti Ltd., Kota. They are being paid salary according to the order dated 1 May 2018 of Technical Education Department, Govt of Rajasthan.


As per the terms and conditions with the agency, GST @ 18% is charged by the agency in addition to the approved salary of the three TEQIP staff members. For the FY 2018-19 the total additional amount of Rs. 64159.00 accrued due to the GST charges has been disallowed by the auditor. In this respect, the State Project Implementing Agency (SPIU) for TEQIP-III has informed to put up the matter before competent body/authority for approval/decision.

Therefore, the matter as above is submitted for perusal of BoM and necessary decision/direction on the disallowance of expenditure as well as for future action.

**Resolution 34(T)2**

**The order dated May 2018 is not clear about remuneration of manpower that GST is included or excluded, hence the rates of manpower engaged with the agency GST @ 18% is charged by the agency in addition to paid salary is approved and the same may be got approved from NPIU/SPIU.**

  
(प्रो. आर. ए. गुप्ता) 21.10.19  
कुलपति एवं अध्यक्ष  
प्रबन्ध मण्डल

  
(सुनीता डट्टा)  
कुलसचिव एवं सचिव  
प्रबन्ध मण्डल